(क) क्या पुरातत्व विभाग के नियमों के अंतर्गत इस विभाग द्वारा जिस मन्दिर अथवा मस्जिद को पुरातत्वीय महत्व का स्थान घोषित कर दिया जाता है उसमे प्रार्थना कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है; और

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली के पुराने किले में स्थित शेरशाह की मस्जिद मे नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) भारत सरकार की यह नीति है कि केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में जिनमे मंदिर और मस्जिद शामिल है; और जहां संरक्षण लेने के समय पूजा और प्रार्थना की परिपाटी प्रचलित नही थी, वहा पूजा और प्रार्थना के पुनः प्रचलन की अनुमति नही दी जाए।

(ख) जी, नही।

राज्यों में साहित्य अकादमियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

4590. **श्री सुधाकर पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यो की प्रत्येक साहित्य अकादमी द्वारा अपनी-अपनी भाषा मे प्रकाशित पुस्तकों के नाम क्या है और प्रत्येक पुस्तक के प्रकाशन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) इस बारे में उपलब्धियों को देखते हुए सरकार इस कार्य मे कहा तक संतुष्ट है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) और (ख). केन्द्र सरकार अथवा साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा राज्य साहित्य अकादमियों को न तो कोई आर्थिक सहायता दी जाती है और न ही इन अकादमियो का कोई नियन्त्रण किया जाता है।

तथापि अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना

4591. **श्री सुधाकर पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने संबधी योजना को गति प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओ को शिक्षा के माध्यम के रूप मे शीघ्र अपनाने की सुविधा के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने 1968-69 मे विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तके तैयार करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत, इस योजना मे भाग लेने वाली प्रत्येक राज्य सरकार चौथी पंच-वर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व प्रादेशिक भाषाओ मे इस प्रकार की पुस्तकों के निर्माण के लिए एक करोड रुपये तक का अनुदान उपयोग मे ला सकती है।

2. प्रत्येक राज्य मे एक स्वायत/विभागीय बोर्ड स्थापित करके इस योजना को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित कर दिया जाना था। अपने पुस्तक निर्माण बोर्ड तथा इस योजना के कार्यान्वियन के लिए आवश्यक प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने में कई राज्यो मे पर्याप्त समय लगाया। चौथी पंच वर्षीय योजना के पहले दो वर्षों मे इस विषय में प्रगति धीमी रही। इसके अलावा पुस्तक निर्माण का कार्य इस प्रकार का है कि पांडुलिपि स्तर तक प्रगति अनिवार्य रूप से अलक्षित रहती है विशेषज्ञ विषय पेनल स्थापित करने होते है शीर्षक चुने जाने होते है, लेखकों/अनुवादकों से सम्बन्ध स्थापित करना होता है तथा अनुवाद के मामले में कापी राइट प्राप्त करना होता है। परिणाम का तभी पता चलता है जब पुस्तकें प्रकाशित हो जाती हैं। योजना की प्रारम्भिक धीमी गति इस तथ्य पर भी आधारित है।

3. (क) प्रगति से आश्वस्त होने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को मार्ग-दर्शक

सिद्धांत भेजे थे, जिनमें योजना के कार्यक्रम की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन किया गया था ।

(ख) जहां तक हिन्दी भाषी राज्यों का सम्बन्ध है, हिन्दी भाषी राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन तथा एक समन्वय समिति स्थापित की गई है, जो योजना की प्रगति की जांच करती है, आवृत्ति को दूर करती है, तथा योजना के कार्यान्वयन को गति देने के उपायों के बारे में राज्य सरकारों को सलाह देती है ।

(ग) अहिन्दी भाषी राज्यों में भी इसी प्रकार की जांचों को शुरू करने के लिए भी, राज्यों के शिक्षा मंत्रियो तथा कुलपतियों के मंडलीय सम्मेलन आयोजित किए गए, जिन्होने योजना के कार्यान्वयन को गति देने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिए ।

(घ) अनुवाद अधिकारों की समस्या के समाधान के उद्देश्य से भारत सरकार ने ब्रिटिश पब्लिशर्जस एसोसिएशन से व्यवस्था की है, जिसके द्वारा यू० के० में प्रकाशित पुस्तको के अनुवाद अधिकार उचित दर पर शीघ्र ही उपलब्ध किए जाते है । बहुत सी अमरीकन प्रकाशन फर्मों से भी ऐसे ही प्रबन्ध किए गए है । राज्य बोर्डों की ओर से विदेशी पुस्तको के अनुवाद अधिकार प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में एक कापी राइट यूनिट स्थापित की गई है ।

4. विश्वविद्यालय स्तर पुस्तक निर्माण कार्यक्रम ने अब जोर पकड़ लिया है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, 866 पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है, 499 पांडुलिपियां छप रही है, तथा 729 पांडुलिपियों के प्रेस के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाने की संभावना है । अतः इस योजना के अधीन शीघ्र ही कम से कम 2,000 पुस्तके तैयार हो जाने की संभावना है ।

Bill Re : Registration of Allopathic Medical Practitioners

4592. SHRI PRATAP SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) the total number of private allopathic medical practitioners in the country ;

(b) whether his Ministry have prepared a draft model Bill for the ragistration of these practitioners and circulated it to all the State Governments ;

(c) if so, whether the Punjab, Madhya Pradesh and Tamil Nadu Governments have since introduced such Bill in the respective State Legislatures and whether the Ministry have asked all these Governments to postpone consideration of the Bills as the Union Government was contemplating to introduce to Central Legislation on the subject ; and

(d) if so, the steps taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) The number of unqualified allopathic medical practitioners is estimated to be about 80,000.

(b) Yes.

(c) and (d). The erstwhile Punjab, Madhya Pradesh and Madras (Tamil Nadu) Governments had intimated that they proposed to make a suitable provision for registration of such medical practitioners. However, in 1969, in pursuance of the decision taken by the Central Council of Health, State Governments were informed that it was proposed to bring about an amendment to the Indian Medical Council Act. Presumably these three States may not have pursued the question of separate State Legislations in the light of this decision. Government of India have no definite information as to whether any such Bill have since been introduced in the State Legislatures.

The question of enlistment of unqualified medical practitioners has been discussed in the meetings of the Central Council of Health in 1968, 1969 and 1971. Since there was no unanimity of views amongst State Governments the final decision could not be taken. The matter will be placed before the Council again at its next meeting to be held later this year.